

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 80]

नई दिल्ली, बृधवार, अप्रैल 15, 1970/चैत्र 25, 1892

No. 80]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 1970/CHAITRA 25, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 15th April 1970

G.S.R. 647.—In exercise of the powers conferred by rules 12 and 12A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that rebate of the duty paid on tea specified in column (i) of the Table hereto annexed and falling under Item No. 3 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) shall, on the export of such tea to any country or territory outside India (except Nepal, Bhutan and Sikkim), whether by the manufacturer or by any other person or firm, be allowed to the extent specified in the corresponding entry in column (2) or column (3), as the case may be, of the said Table:

Provided that—

- (i) it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs having jurisdiction that such export is on outright sale or on consignment account;
- (ii) the amount of rebate admissible is not less than five rupees and the value of the tea itself at the time of export is, in the opinion of the said Assistant Collector, not less than the amount of the rebate claimed;

(iii) the exporter observes such procedure as may be specified by the Central Board of Excise and Customs in this behalf for claiming the rebate; and

(iv) the exporter undertakes to refund to the said Assistant Collector, on demand being made within six months of the date of payment, any rebate erroneously paid to him.

TABLE

Description of goods	Extent of rebate on export on outright sale	Extent of rebate on export on consignment account
(1)	(2)	(3)
Tea (other than green tea and instant tea)		
(a) tea packed in any kind of container containing not more than 1 Kg. net of tea—		
(i) in metal container	30 per cent of the free along side ship price in excess of Rs. 9.75 per kg. subject to a maximum of 75 paise per kg.	30 per cent of the sale price in excess of Rs. 11.00 per kg. subject to a maximum of 75 paise per kg.
(ii) in container other than metal container	30 per cent of the free along side ship price in excess of Rs. 6.25 per kg. subject to a maximum of 75 paise per kg.	30 per cent of the sale price in excess of Rs. 7.50 per kg. subject to a maximum of 75 paise per kg.
(b) Others	30 per cent of the free along side ship price in excess of Rs. 5.25 per kg. subject to a maximum of 75 paise per kg.	30 per cent of the sale price in excess of Rs. 6.50 per kg. subject to a maximum of 75 paise per kg.

2. The rebate allowable under this notification shall be in addition to the rebate allowed in respect of package tea under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 197/62-Central Excises, dated the 17th November, 1962.

[No. 81/70 F. No. B. 6/1/70-CX.11]

E. R. SRIKANTIA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1970

सा० शा० नि० 647.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 और 12 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इससे उपाखण्ड सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 3 के अन्तर्गत आने वाली चाय पर संवत् शुल्क का रिबेट, चाहे विनिर्माता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म द्वारा (नेपाल, भूटान और सिक्किम के सिवाय) भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र को ऐसी चाय के निर्यात पर, उक्त सारणी के, यथास्थिति, स्तम्भ (2) या स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा तक अनुज्ञेय होगा :

परन्तु यह तब जब कि—

- (i) अधिकारिता रखने वाले सीमा शुल्क के सहायक कलक्टर को समाधान प्रद रूप से यह साबित कर दिया जाए कि ऐसा निर्यात पूर्णतया विक्रय पर या परेषण लेखा पर है ;
- (ii) अनुज्ञेय रिबेट की रकम पांच रुपये से कम न हो और निर्यात के समय चाय मात्र का मूल्य, उक्त सहायक कलक्टर की राय में, दावाकृत रिबेट की रकम से कम न हो ;
- (iii) निर्यातकर्ता, रिबेट का दावा करने के लिए ऐसी प्रक्रिया का पालन करता है जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए ; और
- (iv) निर्यातकर्ता, गलती से उसे संवत् कोई रिबेट संशय की तारीख से छह मास के भीतर मांगे जाने पर, उक्त सहायक कलक्टर को वापस करने का वचन देता है ।

सारणी

माल का वर्णन	पूर्णतया विक्रय पर निर्यात पर रिबेट की सीमा	परेषण लेखा पर निर्यात पर रिबेट की सीमा
(1)	(2)	(3)
चाय—(हरी चाय और तत्काल चाय से भिन्न)		
(क) किसी इस प्रकार के आधान में पैक की हुई चाय जिसमें शुद्ध 1 किलोग्राम से अधिक चाय न हो :—		
(i) धातु के आधान में	9.75 रु० प्रति किलोग्राम से अधिक पोत तक मूल्य का 30 प्रतिशत इस शर्त के अधीन कि वह अधिकतम 75 पैसे प्रति किलोग्राम होगा।	11.00 रु० प्रति किलोग्राम से अधिक विक्रय मूल्य का 30 प्रतिशत इस शर्त के अधीन कि वह अधिकतम 75 पैसे प्रति किलोग्राम होगा।
(ii) धातु के आधान से भिन्न आधान में	6.25 रु० प्रति किलोग्राम से अधिक पोत तक मूल्य का 30 प्रतिशत इस शर्त के अधीन कि वह अधिकतम 75 पैसे प्रति किलोग्राम होगा।	7.50 रु० प्रति किलोग्राम से अधिक विक्रय मूल्य का 30 प्रतिशत इस शर्त के अधीन कि वह अधिकतम 75 पैसे प्रति किलोग्राम होगा।
(ख) अन्य	5.25 रु० प्रति किलोग्राम से अधिक पोत तक मूल्य का 30 प्रतिशत इस शर्त के अधीन कि वह अधिकतम 75 पैसे प्रति किलोग्राम होगा।	6.50 रु० प्रति किलोग्राम से अधिक विक्रय मूल्य का 30 प्रतिशत इस शर्त के अधीन कि वह अधिकतम 75 पैसे प्रति किलोग्राम होगा।

2. इस अधिसूचना के अधीन अनुसूचित रिबेट, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 197/62—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 नवम्बर, 1962 के अधीन पैकेज व चाय के बारे में अनुज्ञात रिबेट के अतिरिक्त होगा।

[सं० 81/70/एफ० सं० बी० 6/1/70 सी० एक्स०-II]

ई० आर० श्रीकांतिया उप सचिव।

CENTRAL BOARD OF EXCISE & CUSTOMS**NOTIFICATION****CENTRAL EXCISES***New Delhi, the 15th April 1970*

G.S.R. 648.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) read with rule 4 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Board of Excise and Customs hereby appoints:—

- (a) all Collectors of Customs.
- (b) all Additional Collectors of Customs.
- (c) all Appellate Collectors of Customs.
- (d) all Deputy Collectors and Assistant Collectors of Customs supervising the work of the Export and Drawback Departments in the Custom Houses; and
- (e) all Principal Appraisers and Appraisers working in the Export and Drawback Departments in the Custom Houses.

as Central Excise Officers and invests—

- (a) the said Collectors, the Additional Collectors and the Appellate Collectors with powers of a Collector of Central Excise.
- (b) the said Deputy Collectors with the powers of a Deputy Collector of Central Excise, and
- (c) the said Assistant Collectors, Principal Appraisers and Appraisers with the powers of an Assistant Collector of Central Excise

being the powers of a Central Excise Officer under that Act and those rules, for the purposes of work connected with the export, through the port of Bombay, Calcutta, Madras, Cochin, Goa, Kandla or Vishakhapatnam, of tea (falling under Item No. 3 of the First Schedule to that Act), including sanction and payment of rebate and passing orders on appeals relating to sanction of rebate on such export.

[No. 80/70-CE. F. No. B.6/1/70-CX.11.]

E. R. SRIKANTIA,

Secy., Central Board of Excise & Customs.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1970

सा० का० नि० 648.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 4 के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है :—

- (क) सभी सीमाशुल्क कलक्टर
- (ख) सभी अपर सीमाशुल्क कलक्टर
- (ग) सभी सीमाशुल्क-कलक्टर (अपील)
- (घ) सीमाशुल्क गृहों में निर्यात और वापसी विभागों के कार्य का पर्यवेक्षण करने वाले सभी उप-कलक्टर और सहायक कलक्टर तथा

(ड०) सीमाशुल्क गृहों में निर्यात और वापसी विभागों में काम करने वाले सभी प्रधान मूल्य निरूपक और मूल्य निरूपक; तथा

(क) उक्त कलक्टरों, अपर कलक्टरों और अपील कलक्टरों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर की शक्तियां

(ख) उक्त उप-कलक्टरों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उप-कलक्टरों की शक्तियां तथा

(ग) उक्त सहायक कलक्टरों, प्रधान मूल्य निरूपकों और मूल्य निरूपकों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलक्टर की शक्तियां

विनिहित करता है, जो उस अधिनियम और उन नियमों के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी की, (उस अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 3 के अन्तर्गत आने वाली) चाय के मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, गोवा, कांडला या विशाखापत्तनम पत्तन से होकर निर्यात से संबद्ध कार्य के प्रयोजनों के लिए शक्तियां हैं जिनके अन्तर्गत रिबेट की मंजूरी और संदाय तथा ऐसे निर्यात पर रिबेट की मंजूरी संबंधी अपीलों पर आदेश पारित करना है ।

[सं० 80/70-सी० ई०/एफ० सं० बी० 6/1/70-सी० एक्स०-11]

ई० आर० श्रीकांतिया,

सचिव, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड ।